उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या :49/2017/447/छप्पन-2017-24/10
लखनऊ : दिनांक : 04 जुलाई, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय ज्ञाप संख्या-328(2)/छप्पन-2010-53/99 टी0सी0, दिनांक 30 मार्च, 2010 के द्वारा व्याख्याता (एयरो) के पद पर कु0 स्नेहा गुप्ता को नियत मासिक पारिश्रमिक रूपए 31,000/-(रूपये इक्तीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में कु0 स्नेहा गुप्ता द्वारा दिनांक 31-03-2010 को कार्यभार ग्रहण किया गया, जिसकी संविदा अवधि दिनांक 31-03-2011 को समाप्त हो गई। तदनुसार उनकी संविदा अवधि वर्षानुवर्ष बढाई जाती रही है। अन्तिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या- 320/छप्पन-2015-24/10, दिनांक 29-05-2015 द्वारा कु0 स्नेहा गुप्ता की संविदा अवधि नियत मासिक परिश्रामिक रू0 50,160/- (रूपए पचास हजार एक सौ साठ मात्र) पर दिनांक-01-04-2015 से आगामी 02 वर्ष (अर्थात दिनांक 01-04-2015 से दिनांक 31-03-2017 तक) के लिए पूर्व शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढाई गई थी, जो दिनांक 31-03-2017 को समाप्त हो गयी है। निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि कु0 स्नेहा गुप्ता व्याख्याता (एयरो) द्वारा अपनी संविदा अवधि अग्रेत्तर बढाए जाने का अनुरोध किया गया है और यह भी कहा गया है कि कु0 स्नेहा गुप्ता द्वारा अपना कार्य निष्ठापूर्वक सम्पादित किया जा रहा है। साथ ही निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने व्याख्याता (एयरो) के पद पर कु0 स्नेहा गुप्ता की संविदा दिनांक 01-04-2017 से अग्रेत्तर एक वर्ष बढाए जाने का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया है । प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, व्याख्याता (एयरो) के पद पर कु0 स्नेहा गुप्ता, की संविदा अवधि नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 55,301/- पर दिनांक 01-04-2017 से अगामी 06 माह(अर्थात दिनांक 01-04-2017 से 30-09-2017 तक) के लिए पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढाए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- कु0 स्नेहा गुप्ता को उक्त संविदा अवधि में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्ते वही लागू होंगी, जो अस्थाई कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वितीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम 157--ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थाई राज्य कर्मचारियों की भांति अवकाश देय होगा।

[redacted]0 स्नेहा गुप्ता से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।

(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव।

कु0 स्नेहा गुप्ता,
व्याख्याता (एयरो)(संविदा)
नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या :49/2017/446(1)/छप्पन-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री जितेन्द्र कुमार सरोज से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा/हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/कार्मिक अनुभाग-1

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।